


फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांत	बनाम	अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट
1. श्री गोपीचन्द पुत्र श्री भाकरारामजी जाति विश्नोई निवासी जोदाणियों की ढाणी रणोदर तहसील चितलवाना जिला जालोर। जरिए पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर श्री शिवनाथ पुत्र श्री भंवरनाथ जाति नाथ निवासी सोनी मोहल्ला सलोदा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।		सरकार जरिये अभियोजन अधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट

मुकदमा नं 02-वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हए
04.02.2022	<p>प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत पेश किया गया। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना पालडी एम जिला सिरोही के सी. आर. नं. 159 दिनांक 24.09.2021 में उपाधीक्षक पुलिस वृत सिरोही द्वारा गलत रूप से प्रार्थी का वाहन टोयोटा क्वालिस नम्बर आरजे 30 सी 2745 पकडा गया हैं। उसे जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर प्रार्थी को सुपुर्द करावें। प्रार्थना पत्र की प्रति अभियोजन अधिकारी सिरोही को दी जाकर केस डायरी तलब की गई एवं मूल परिवाद मंगवाया जाकर मैंने परिवाद का अवलोकन किया गया। मूल डायरी का अध्ययन किया गया। परिवाद दिनांक 17.12.2021 को प्रस्तुत किया गया, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया, कि दिनांक 24.09.2021 को श्री मदनसिंह उप अधीक्षक पुलिस वृत्ताधिकारी वृत सिरोही द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 24.09.2021 को पुलिस थाना पालडी एम से रवाना होकर वेराविलपुर कट पर पहुंचे तो खास मुखबिर से सूचना मिली कि श्री मोहनलाल पुत्र श्री तगाराम माली निवासी पालडी एम हाल वेराविलपुर, जो टैंकरों में से सस्ते भाव में डीजल खरीदकर अपने कृषि खेत में अवैध रूप से ग्राहकों को बेचने के लिए रखा हुआ है। मौके पर पहुंचने पर कृषि खेत में प्लॉस्टिक के आसमानी रंग के चार ड्रम एवं ड्रमों के पास एक प्लॉस्टिक की पाईप नली व स्टील का कीमा पडे मिले एवं इनके पास एक व्यक्ति खडा मिला जिसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम श्री मोहनलाल पुत्र श्री तगाराम जाति माली निवासी पालडी एम हाल वेराविलपुर होना बताया। श्री मोहनलाल से तरल पदार्थ के बारे में पूछा तो</p>	

जिला कलक्टर, सिरोही

उसने ड्रमों में डीजल भरा होना बताया, जिसे वह हाईवे होटलो पर खड़े टैंकर चालकों से कम दाम में खरीदकर बाजार भाव से कम दामों में बेचकर मुनाफा कमाता है। श्री लखमाराम ने बताया कि उसने श्री ओमप्रकाश मोची निवासी भीनमाल का कृषि कुंआ वेराविलपुर में आया हुआ है, जिसे ठेके पर ले रखा है। एवं श्री अशोक कुमार पुत्र श्री नारायणसिंह जाति विश्नोई निवासी बागली जिला जालोर हाल श्रीजी बालाजी होटल वेराविलपुर पुलिस थाना पालडी एम जिला सिरोही द्वारा ठेके पर लिए गए खेत पर डीजल के ड्रम रखे गए हैं। श्री अशोक कुमार को जिला कारागृह सिरोही से प्रोडेशन वारंट पर प्राप्त कर उक्त डीजल के अनुज्ञापत्र व बिल इत्यादि के बारे में पूछा तो उसने अपने पास किसी भी प्रकार का कोई अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया एवं उक्त डीजल को हाईवे पर चलने वाले टैंकरों से सस्ते भाव में खरीदकर आगे ग्राहकों को बेचने के लिए रखा हुआ था। अतः भारी मात्रा में अवैध रूप से डीजल को बिना अनुज्ञापत्र के अवैध रूप परिवहन करने से अपराध धारा 407,379,411 भादस का उल्लघन करना व MOTOR SPIRIT AND HIGH SPEED DIESEL REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION AND PREVENTION OF MALPRACTICES ORDER 1998 SEC-(2)(i) का उल्लघन है अतः धारा 407,379,411 भादस, 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लघन होने से मुकदमा दर्ज किया जाकर यह प्रकरण वाहन के निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार व अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने बहस में निवेदन किया कि वाहन का स्वामी श्री शिवनाथ पुत्र श्री भंवरनाथ जाति नाथ निवासी सोनी मोहल्ला सलोदा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द केवल मात्र वाहन का एक मात्र स्वामी है एवं वाहन के थाने में पड़े रहने से उसके खराब होने की पूर्ण सम्भावना है, जिससे प्रार्थी को काफी आर्थिक नुकसान होगा। पुलिस द्वारा वाहन से किसी तरह की कोई जाँच नहीं की जानी है।

इस संबंध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Petition No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminal Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Seized carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.**

अतः वाहन का प्रार्थी एकमात्र स्वामी होने से सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान करावें।

जिला कारागृह, सिरोही

अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के तर्कों का विरोध करते हुये निवेदन किया कि चालक द्वारा डीजल की चोरी कर कालाबाजारी करने हेतु उक्त वाहन में ले जाया जा रहा था। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अपराध होने से पुलिस द्वारा वाहन मय डीजल को कब्जे सरकार लिया गया है। एफएसएल रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। प्रकरण का अनुसंधान जारी है।

ऐसी स्थिति में वाहन को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द नहीं किया जावे। उपाधीक्षक पुलिस सिराही द्वारा थाना पालडी एम के मुकदमा संख्या 159 दिनांक 24.09.2021 के अन्तर्गत धारा 3/7 ई.सी.एक्ट में टोयोटा क्वालिस नम्बर आरजे 30 सी 2745 को कब्जे सरकार लिए गए डीजल के साथ कब्जे सरकार लिया गया है। वाहन को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान नहीं करावे।

मैंने दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया। थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम के एफ आई आर क्रमांक 159 दिनांक 24.09.2021 एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि का अध्ययन मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस द्वारा टोयोटा क्वालिस नम्बर आरजे 30 सी 2745 को प्रार्थी द्वारा डीजल चोरी करते हुए पाए जाने से मौके से उक्त डीजल एवं वाहन को कब्जे पुलिस लिया जाकर वाहन चालक को गिरफ्तार कर अग्रिम अनुसन्धान जारी है। वाहन को उसके पंजीकृत मालिक को देने पर अनुसन्धान पर कोई विपरित असर पड़ना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है जिससे वाहन मालिक को अतुलनीय क्षति होना पाया जाता है।

उपभोक्ताओं को वाहन चलाने हेतु हो रही परेशानी को मध्यनजर रखते हुए उसका निस्तारण शीघ्र किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Petition No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminal Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Seized carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petroleum products No useful purpose will be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.**

जिला कलेक्टर, सिराही

इस प्रकरण में लागू होना पाया जाने से उसका सम्मान करते हुए वाहन को रूपये 04,00,000/- की जमानत एवं सुपुर्दगीनामे पर दिये जाते हैं।

आदेश की प्रति पालनार्थ माफिक आदेश उसके स्वामी की जांच कर वाहन सुपुर्द करने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम को भिजवाई जावे । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम होकर मूल पत्रावली के साथ नत्थी रखा जावे ।

Bello
(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलेक्टर, सिरोही